

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 10.09.2021**

### **शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल - 20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।**

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

#### **01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. हनुमान सिंह पुत्र रामराज सिंह नि० नकहापुल कुट्टी मौजा तुरकौली थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 293/21, 02. श्रीमती सन्जू सिंह पत्नी फूल सिंह, 03. अरविन्द सिंह उर्फ कालू पुत्र फूल सिंह नि०गण महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद कर मु०अ०सं०- 294/21, धारा 60,72 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. रामबृक्ष पुत्र शिवप्रसाद नि० महुआडीह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 270/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कार्यवाही की गयी।

#### **03. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. बुधिराम पुत्र छैलबिहारी नि० जटोलिया थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती के कब्जे से 12 ली० अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद कर मु०अ०सं०- 253/21, धारा 60,72 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **04. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. कमल पुत्र अनन्तराम नि० करबला कोड महाराजगंज थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 697/21, 02. खल्लू पुत्र स्व० धिराऊ नि० मोकलपुर खास थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 699/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **05. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. श्रीमती सुगना पत्नी जियालाल, 02. श्रीमती मंजू पत्नी राजू, 03. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी रुसे नि0गण पंडितपुरवा मौजा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0- 207/21, 208/21, व 209/21, धारा 60,60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 10.09.2021**

## **छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त लल्लू उर्फ शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना मोतीगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना मोतीगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. लल्लू उर्फ शिवकुमार पुत्र अयोध्या प्रसाद नि0 कैमी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

### **पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 216/21, धारा 376,354,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

### **गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 राकेश पाल मय टीम।

प्रेस नोट  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 10.09.2021

**थाना मनकापुर ने छेड़छाड़ करने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने छेड़छाड़ करने के वांछित अभियुक्त-लवकुश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के भाई द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. लवकुश तिवारी पुत्र काली प्रसाद तिवारी नि0 कोपा डिहवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 130/21, धारा 354(क), भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ0नि0 सत्येन्द्र वर्मा मय टीम।